न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 75 एल.आर.एक्ट
प्रकरण संख्याः 006/2025

1 मोहम्मद साजिद पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 जुवेदा पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3 माफिया पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।

-:अपीलांट

बनाम्

1 ग्राम पंचायत भुनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भुनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 साबर अली पुत्र मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3 मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।

-असल रेस्पोडंट

4 किस्मत अली पुत्र मो. रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
5 माफिया पुत्री मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
6 अनारा बीबी पत्नी मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
7 हुसना (माता मन्जूरा पत्नी मोहम्मद रमजान) पुत्री मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।

-तरतीबी रेस्पोडेंट

उपस्थित :-

1. श्री रामानंद बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2, 3
3. राजपैरोकार

-::निर्णय::-

दिनांक 17.02.2026

अधिवक्ता अपीलांट श्री रामानंद बोहरा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोर्डेट संख्या 3 अपीलाण्ट के नाना है। रेस्पोर्डेट संख्या 3 की प्रथम पत्नी मन्जूरा व द्वितीय पत्नी अनारा बीबी है। रेस्पोर्डेट संख्या 3 की प्रथम पत्नी मन्जूरा के दो पुत्रियां सलीमा व हुसना हुई, अपीलाण्ट मन्जूरा की

र
धिकारी
गढ

श्री सलीमा की संतान है तथा रेस्पोर्डेट संख्या 4 रेस्पोर्डेट संख्या 3 की द्वितीय पत्नी व
तिवादीगण संख्या 2, 5 से 5 रेस्पोर्डेट संख्या 3 की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान है।
यह कि अपीलाण्ट के नाना रेस्पोर्डेट संख्या 3 के नाम से निम्नलिखित पैतृक कृषि
भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है :-
- चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता
संख्या 70/49 कुल तादादी 4.048 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 405/2024
हिस्सा यानि 0.810 हैक्टेयर।

इस प्रकार रेस्पोर्डेट संख्या 3 के नाम उक्तानुसार कुल 0.810 हैक्टेयर कृषि भूमि
राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

यह कि अपीलाण्ट ने रेस्पोर्डेट संख्या 2 से 7 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर
हनुमानगढ के समक्ष एक राजस्व वाद बअनवानी मोहम्मद साजिद बनाम मोहम्मद रमजान
आदि प्रस्तुत कर अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में घोषणात्मक डिक्री पारित
किये जाने का अनुतोष याचित किया जो वादपत्र राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है।

यह कि रेस्पोर्डेट संख्या 3 को उक्त वादपत्र के लम्बित होने की भली भांति जानकारी
थी तथा वह उक्त वादपत्र में उपस्थित भी आया हुआ हे लेकिन रेस्पोर्डेट संख्या 3 ने
अपीलाण्ट को वैध हिस्सा से वंचित करने के आशय से कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से
रेस्पोर्डेट संख्या 2 के पक्ष में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 6 एलएलडब्ल्यू के खातो में अपने नाम
दर्ज कृषि भूमि का इंतकाल संख्या 677 दिनांक 04.12.2024 को दर्ज करवा दिया तथा यह
इंतकाल रेस्पोर्डेट संख्या 1 ने बिना कोई जांच किये अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये
बिना तस्दीक कर दिया। इस इंतकाल से अपीलाण्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठराघात हो
रहा है। इस इंतकाल से अपीलाण्ट के हित सारवान रूप से प्रभावित हुये है। इस इंतकाल से
व्यथित होकर अपीलाण्ट यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है:-

क- यह कि आक्षेपित अपीलाधीन इंतकाल संख्या 677 दिनांक 04.12.2024 कतई गलत,
विधि विरूद्ध एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

ख- यह कि अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान
नहीं किया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन इंतकाल अपास्त होने योग्य है।

ग- यह कि अपीलाण्ट की नानी मन्जूरा अर्थात् रेस्पोर्डेट संख्या 3 की प्रथम पत्नी मन्जूरा का
स्वर्गवास हो गया। अपीलाण्ट की नानी के स्वर्गवास (इंतकाल) होने पर रेस्पोर्डेट संख्या 3 द्वारा
हिब्बा किया गया कि मन्जूरा के दो पुत्रिया सलीमा व हुसना है, इसलिए उन्हें मेहर के रूप
में कृषि भूमि दी जानी चाहिए। इसी अनुसरण में रेस्पोर्डेट संख्या 3 द्वारा अपीलाण्ट की नानी
के इंतकाल पर अपीलाण्ट की माता सलीमा व हुसना को मेहर की राशि स्वरूप अपने नाम
दर्ज उक्त कुल 2.577 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा यानि 0.859 हैक्टेयर भूमि देनी तय की
गई तथा इस 1/3 हिस्सा में से अपीलाण्ट को 1/2 हिस्सा यानि 0.4295 है. कृषि भूमि
मेहर राशि स्वरूप देनी तय की गई, इससे स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट भी
हिस्सेदार है लेकिन रेस्पोर्डेट संख्या 1 से 3 ने आपस में मिलीभगत का उक्त इंतकाल दर्ज
करवाया है, इस कारण भी इंतकाल अपास्त होने योग्य है।

घ- यह कि रेस्पोर्डेट संख्या 3 द्वारा रेस्पोर्डेट संख्या 2 के पक्ष में करवाया गया उपहार पत्र
प्रतिफलहीन है तथा उपहार में अन्तरित की गई कृषि भूमि के कब्जा का आदान प्रदान भी
नहीं हुआ है। इस कारण से प्रश्नगत उपहार दिखावटी व बनावटी होने से प्रारम्भतः ही अवैध

कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

शून्य है तथा इस शून्य उपहार पत्र के आधार पर दर्ज इंतकाल भी कतई गलत व विधि रुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा पीलाधीन इन्तकाल संख्या 677 दिनांक 04.12.2024 अपास्त किया जावे।

» अपील प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोर्डेट्स ो तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोर्डेट्स सं. 2, 3 की तरफ से अधिवक्ता रामकुमार कस्वां जिर आये।

अधिवक्ता अपीलांटस् व रेस्पोडेन्टस संख्या 2, 3 को दौराने बहस सुना गया। अधिवक्ता स्पोडेंट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम पर एतराज किया गया व अपील ार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की हस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन म्नानुसार है।

1 रेस्पोर्डेट संख्या 3 को उक्त वादपत्र के लम्बित होने की भली भांति जानकारी थी था वह उक्त वादपत्र में उपस्थित भी आया हुआ हे लेकिन रेस्पोर्डेट संख्या 3 ने अपीलाण्ट ो वैध हिस्सा से वंचित करने के आशय से कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोर्डेट ंख्या 2 के पक्ष में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 6 एलएलडब्ल्यू में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि ा इंतकाल संख्या 677 दिनांक 04.12.2024 को दर्ज करवा दिया तथा यह इंतकाल स्पोर्डेट संख्या 1 ने बिना कोई जांच किये अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्दीक कर दिया। इस इंतकाल से अपीलाण्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठराघात हो रहा ै। अपीलान्ट उक्त इन्तकाल जैर से व्यथित होकर उक्त वर्णित बिन्दूवार अपील प्रस्तुत की गई ै।

2 चक 6 एलएलडब्ल्यू नामान्तकरण सं. 677/04.12.2024 द्वारा मोहम्मद रमजान से साबर अली पुत्र मोहम्मद रमजान के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र से नामान्तकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोर्डेट सं. 2 वर्तमान में अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अपील के संबध में उदार दृष्टिकोण रखना आवश्यक प्रतीत होता है। विधि अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 677/04.12.2024 के द्वारा मोहम्मद रमजान से साबर अली पुत्र मोहम्मद रमजान के पक्ष में पंजीकृत उपहार पत्र से नामान्तकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोर्डेट सं. 2 वर्तमान में अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। जिसे हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार मोहम्मद रमजान ने ने अपना हिस्सा मंजूरा की पुत्रियों के पक्ष में हिब्बा कर दिया था लेकिन हिब्बा के प्रमुख तीन तत्व 1 हिब्बा करने वाले की सुस्पष्ट स्थिति 2 गृहिता की सुस्पष्ट स्वीकृति 3 कब्जे का स्थानान्तरण के संबध में ऐसे कोई " निश्चात्मक सबूत " अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। नामान्तकरण एक फीसीकल प्रक्रिया है। अतः हस्तगत प्रकरण में

...करण में कोई विधिक और प्रक्रियात्मक त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती है। अतः अपील ...न्तर्गत धारा 75 राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं ... है।

-क्रियान्विति आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 ...स्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने के ...ण अस्वीकार कर खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली ...र से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास ...या गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ